SKU JOURNAL OF LEX VIBRENT
(NATIONAL PEER REVIEWED E-RESEARCH JOURNAL)
Impact Factor – SJIF 2025 = 5.071
July – September 2025
E-ISSN 3048-7323
Vol-2
Issue-3

महिला सशक्तिकरण: विधिक अधिकार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व

श्रीमती रीना शर्मा
सहायक प्राध्यापक (शिक्षाशास्त्र)
श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

सारांश

महिला सशक्तिकरण समाज की प्रगति और विकास का आधार है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में महिलाओं की भागीदारी सिर्फ सामाजिक या आर्थिक क्षेत्र में सीमित न होते हुए विधिक अधिकार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय संविधान ने महिलाओं को समानता, शिक्षा और रोजगार, स्वतंत्रता और गरिमा आदि का अधिकार प्रदान किया है। इसके साथ ही, घरेलू हिंसा से सुरक्षा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण, समान वेतन और मातृत्व लाभ जैसे कानून महिलाओं को सुदृण बनाते हैं।

राजनीतिक क्षेत्र में 73वें और 74वें संविधान संशोधन (1992) ने महिलाओं को पंचायत और नगर निकायों में 33% आरक्षण प्रदान किया, जिससे लाखों महिलाएँ सक्रिय राजनीति और प्रशासन से जुड़ीं। हाल ही में संसद द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक (2023) ने संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया है, जिसे भारतीय राजनीति में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। फिर भी, आज भी समाज में पितृसत्तात्मक सोच, पुरुष वर्चस्व, शिक्षा और आर्थिक संसाधनों की कमी तथा राजनीतिक दलों में असमान अवसर जैसी चुनौतियाँ महिला सशक्तिकरण को सीमित करती हैं। यह शोध पत्र महिला सशक्तिकरण के विधिक आधार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की गहराई से पड़ताल करता है और आगे की दिशा पर प्रकाश डालता है।

बीज शब्द

महिला सशक्तिकरण, विधिक अधिकार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आरक्षण नीति, भारतीय संविधान, पंचायत राज, लैंगिक समानता।

प्रस्तावना

भारतीय समाज में महिलाओं को विरोधाभासी रखा गया है। एक ओर वेदों और उपनिषदों में महिलाओं को देवी, विदुषी और शक्ति का स्वरूप माना गया, वहीं दूसरी ओर मध्यकालीन समाज में महिलाएँ सामाजिक बंधनों और पितृसत्तात्मक नियंत्रण की शिकार बनीं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महिलाओं ने सामाजिक और राजनीतिक गतिविधि में सहभागिता कर यह सिद्ध किया कि वे केवल परिवार तक ही सीमित नहीं हैं, वह राष्ट्रनिर्माण में भी समान रूप से सक्षम हैं। संविधान निर्माताओं ने महिलाओं की दशा को ध्यान में रखते हुए उन्हें पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किए। संविधान की प्रस्तावना में ही न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आश्वासन है। अनुच्छेद 14, 15 और 16 महिलाओं को समानता और समान अवसर का अधिकार देते हैं। इसके अलावा, अनेक विधिक प्रावधान और कानून महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में बनाए गए। संविधान ने महिलाओं को समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और जीवन के मौलिक अधिकार प्रदान किए।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु संविधान में संशोधन किए गए। 73वें और 74वें संविधान संशोधनों ने पंचायत और नगर निकायों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया, जिससे लाखों महिलाएँ पहली बार राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बनीं। आज आवश्यकता है कि इस प्रतिनिधित्व को संसद के साथ विधानसभा में विस्तारित किया जाए, ताकि महिला सशक्तिकरण सही अर्थों में स्थापित किया जा सके। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में महिलाओं की स्थिति समाज की प्रगति का दर्पण है। भारतीय संस्कृति में "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता:" का आदर्श प्रस्तुत किया गया है, किंतु लंबे समय तक महिलाएँ आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विरोधाभास का सामना कर रही हैं। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर वर्तमान लोकतांत्रिक भारत तक महिलाओं की भूमिका निरंतर बढ़ी है।

शोध समस्या एवं उद्देश्य

शोध समस्या

भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक विधिक प्रावधान और कानून बनाए गए हैं तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी बढ़ा है, परन्तु महिलाओं की स्थिति अपेक्षित स्तर तक नहीं सुधरी। संसद और विधानसभाओं में उनकी भागीदारी अब भी सीमित है और सामाजिक-आर्थिक बाधाएँ उन्हें राजनीति और नेतृत्व में समान अवसर नहीं देतीं।

शोध उद्देश्य

1. महिला सशक्तिकरण की अवधारणा को स्पष्ट करना।
2. भारतीय संविधान और विधिक अधिकारों का विश्लेषण करना।
3. महिला हितैषी कानूनों और नीतियों का अध्ययन करना।
4. राजनीतिक प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति का आकलन करना।
5. चुनौतियों और बाधाओं की पहचान करना।
6. महिला सशक्तिकरण के लिए संभावनाओं और सुझावों को प्रस्तुत करना।

शोध विधि

यह शोध वर्णनात्मक के साथ विश्लेषणात्मक पद्धति को दृष्टिगत रखते हुए है।

प्राथमिक स्रोत : भारतीय संविधान के विभिन्न अधिनियम, संसदीय दस्तावेज।

द्वितीयक स्रोत : पुस्तकों, शोध-पत्रों, सरकारी रिपोर्टों, समाचार पत्रों, राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट एवं इंटरनेट सामग्री।

तकनीक : गुणात्मक विश्लेषण, तुलनात्मक अध्ययन, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का मूल्यांकन।

शोध विस्तार

1. महिलाओं में सशक्तिकरण की अवधारणा

महिला सशक्तिकरण का अर्थ केवल महिलाओं को अधिकार देने से ही नहीं है, परन्तु उन्हें आत्मनिर्भर, शिक्षित, आर्थिक सक्षम और राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में समान भागीदारी दिलाना

भी है। यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और विधिक सभी पहलू सम्मिलित हैं।

2. भारतीय संविधान और विधिक अधिकार

भारतीय संविधान महिलाओं को अनेक विधिक अधिकार प्रदान करता है:

अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार

अनुच्छेद 15(3) - महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान

अनुच्छेद 16 - सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर

अनुच्छेद 39(d) - समान कार्य के लिए समान वेतन

अनुच्छेद 42 - मातृत्व लाभ और कार्य परिस्थितियों में सुधार

अनुच्छेद 51(A)(e) - महिलाओं के सम्मान की रक्षा करना नागरिक का कर्तव्य

3. महिला हितैषी प्रमुख कानून

समान वेतन अधिनियम 1976

मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 (संशोधित 2017)

घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2013

पोक्सो अधिनियम 2012

इन कानूनों का उद्देश्य महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

4. राजनीतिक प्रतिनिधित्व का विकास

स्वतंत्र भारत में प्रारंभिक वर्षों में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व नगण्य था। संविधान ने उन्हें मतदान का अधिकार तो दिया, किंतु वास्तविक भागीदारी सीमित रही। समय के साथ स्थानीय निकायों में आरक्षण ने इस स्थिति को बदला।

5. पंचायत राज और स्थानीय निकायों में महिला भागीदारी

73वें और 74वें संविधान संशोधन (1992) के तहत पंचायतों और शहरी निकायों में महिलाओं को 33% आरक्षण मिला। आज लाखों महिलाएँ सरपंच, पार्षद और जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। कई राज्यों ने इसे 50% तक बढ़ाया है। इससे ग्रामीण राजनीति और नीति निर्माण में महिलाओं की आवाज़ मजबूत हुई।

6. संसद और विधान सभा में महिला आरक्षण

लोकसभा में महिलाओं की संख्या आज भी कुल सदस्यों का लगभग 15% है। विधानसभाओं में भी यह संख्या 12-14% तक सीमित है। महिला आरक्षण विधेयक (2023) इस कमी को हटाने का प्रयास है, जो संसद के साथ-साथ विधानसभा में भी महिला आरक्षण तैतीस प्रतिशत सुनिश्चित करेगा।

7. चुनौतियाँ

a. राजनीति में पुरुष वर्चस्व और पितृसत्तात्मक मानसिकता
b. महिला नेताओं की वास्तविक निर्णय लेने की शक्ति का अभाव (सरपंच पति/प्रॉक्सी नेतृत्व)
c. शिक्षा और आर्थिक संसाधनों की कमी
d. राजनीतिक दलों में टिकट वितरण में असमानता
e. समाज में महिलाओं के सहयोग को लेकर पूर्वाग्रह

8. अवसर और संभावनाएँ

a. शिक्षा और सूचना तकनीक ने महिलाओं को सशक्त किया है।
b. महिला आरक्षण विधेयक लागू होने से संसदीय राजनीति में बड़ा परिवर्तन आएगा।
c. न्यायपालिका की सक्रियता महिलाओं को अधिक अधिकार दिला रही है।
d. एनजीओ और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की पहल से राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि होगी।

9. अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

विश्व के कई देशों जैसे - रवांडा, स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड में संसद में महिलाओं की भागीदारी 40-60% तक है। भारत इस मामले में पीछे है, किंतु महिला आरक्षण विधेयक लागू होने से स्थिति में बड़ा बदलाव संभव है।

शोध के परिणाम

शोध के द्वारा अध्ययन करने से यह स्पष्ट हुआ है कि विधिक अधिकार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व ने महिला सशक्तिकरण को दिशा दी है, किंतु अभी भी वास्तविक समानता दूर है। पंचायत स्तर पर आरक्षण के द्वारा महिलाओं की स्थिति को बदला, परंतु राष्ट्रीय और राज्य स्तर की राजनीति में उनकी भागीदारी सीमित है।

निष्कर्ष

महिला सशक्तिकरण केवल विधिक अधिकार देने से संभव नहीं, बल्कि उन्हें व्यवहार में लागू करना भी आवश्यक है। भारतीय संविधान और विभिन्न अधिनियमों द्वारा समान अधिकार दिए गए, किंतु व्यवहारिक स्तर पर अभी भी असमानताएँ बनी हुई हैं। पंचायत स्तर पर आरक्षण से महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, परंतु उच्च स्तर की राजनीति में उनकी स्थिति कमजोर है। महिला आरक्षण विधेयक लागू होना एक ऐतिहासिक कदम है जो संसद और विधानसभाओं में महिला के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करेगा। विधिक अधिकारों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का सही उद्देश्य तभी पूरा होगा जब समाज में पितृसत्तात्मक सोच बदलेगी, महिला शिक्षा, आर्थिक अवसर एवं सामाजिक समर्थन मिलेगा।

सुझाव

1. राजनीतिक दलों को टिकट वितरण में 33% महिला आरक्षण लागू करना चाहिए।
2. महिलाओं की शिक्षा और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
3. पंचायत स्तर पर प्रॉक्सी नेतृत्व रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जाएँ।

4. महिला आयोग और एनजीओ की भूमिका को और प्रभावी बनाया जाए।
5. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफल मॉडल का अध्ययन कर भारत में लागू किया जाए।

संदर्भ सूची

1. भारतीय संविधान - भारत सरकार
2. राष्ट्रीय महिला आयोग की वार्षिक रिपोर्टें
3. चौधरी, पुष्पा (2018). भारतीय राजनीति और महिला सशक्तिकरण
4. शर्मा, आर. के. (2020). भारतीय विधि और समाज
5. Election Commission of India - Statistical Reports
6. UNDP Reports on Gender Equality and Women Empowerment